# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 152/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामेश्वर
2. गंगाधर
3. तेजाराम
4. रामोतार
5. सुलतान
6. बसराम
7. कमलेश

पिसरान मूलचन्द जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 18.10.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामेश्वर आदि मु0नं0 265/2017 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री रामलाल गोठवाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 01.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने अपीलांट्स के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 115/312 रकबा 0.35 है0 चरागाह पर अतिक्रमण कर पुख्ता मकान व बाड़ा बना लिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 18.10.2017 को निर्णय पारित कर अपीलांट्स को बेदखल करने एवं 90 दिवस के कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स ने किसी भी चरागाह व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है अपीलांट की विधिवत तामील भी नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया जबकि सजा जैसे मुकदमें में

पीडित पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 115/312 में से 0.50 है0 भूमि दिनांक 19.8.96 को आबादी हेतु सैट अपार्ट की थी जिसका नामांतरकरण सं0 103 दिनांक 5.7.97 को तस्दीक हो चुका था। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आबादी दर्ज नहीं हो सकी। इसके बाद जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा दिनांक 28.6.2000 को पूर्व में सैट अपार्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा एक अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील सं0 27/2000 प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 22.4.2003 को फरमाया गया व जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 28.6.2000 को निरस्त करते हुए पूर्व में किये गये सैट अपार्ट आदेश दिनांक 19.8.96 को यथावत रखने के आदेश पारित किये गये है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 115/312 गैर मुमकिन आबादी है जिसमें अपीलांट ने पुख्ता मकान बना रखे हैं तथा वहां के मूल निवासी है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि होने से तहसीलदार को कार्यवाही करने का अधिकार भी नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में सुनवाई का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को ही है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की किस्म रिकॉर्ड में चरागाह अंकित है। चरागाह भूमि होने से अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 की कार्यवाही की गई है जो सही है। सरकार ने राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अपील कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 22.4.2003 एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील किया जाने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.10.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सन्दर्भ में प्रकरण की विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official